

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1356
दिनांक 11 फरवरी, 2025/ 22 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

एनसीआरबी डेटा को जारी करना

+1356. एडवोकेट अद्वर प्रकाश:

श्री एंटो एन्टोनी:

श्री के. सुधाकरन:

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2023 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वार्षिक अपराध डेटा, 2023 के प्रकाशन में विलंब के क्या कारण हैं, और इसके प्रकाशन की समय-सीमा क्या है;

(ख) 2023 के लिए “भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं” रिपोर्ट के प्रकाशन की स्थिति क्या है और इसके प्रकाशन की समय-सीमा क्या है;

(ग) “भारत में अपराध” और “आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं” रिपोर्टों की सटीकता, समयबद्धता और पारदर्शिता में सुधार के लिए लागू किए जा रहे उपाय क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार की डेटा संग्रह और प्रकाशन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल समाधानों अथवा उन्नत विश्लेषणों को अपनाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): एनसीआरबी तीन वार्षिक सांख्यिकीय रिपोर्ट जारी करता है, जिनके नाम हैं 'भारत में अपराध', 'भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएँ' और 'कारागार सांख्यिकी'। प्रकाशन एक कैलेंडर वर्ष के आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, इसलिए, आंकड़ों के संग्रह की प्रक्रिया संबंधित वर्ष के पूरा होने के बाद ही शुरू की जाती है। रिपोर्टों के लिए डेटा 89 डेटा आपूर्ति केंद्रों से एकत्र किया जाता है, जिसमें 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और 53 महानगरीय शहर यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर शामिल हैं। 2023 की रिपोर्टों के लिए डेटा सत्यापन अंतिम चरण में है।

(ग) और (घ): ब्यूरो द्वारा विकसित एक समर्पित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा को डिजिटल रूप से एकत्र किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा संग्रह और उसका समेकन/संकलन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा जिला/राज्य में विभिन्न स्तरों पर किया जाता है और उसके बाद ब्यूरो द्वारा किया जाता है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत डेटा को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में अंतर्निहित जाँच के माध्यम से विभिन्न स्तरों/चरणों पर बड़े पैमाने पर सत्यापित/मान्य किया जाता है। डेटा में विसंगति/असंगतता के मामले में, इसे पुनः सत्यापन के लिए संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश को वापस भेजा जाता है। एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को विस्तृत प्रोफार्मा के अनुसार डेटा एकत्र करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ब्यूरो द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ब्यूरो की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं।
